भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता अनुदान की योजना।
(मई, 2013 में संशोधित)

1.0 योजना

1.1 इस योजना को 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता अनुदान की योजना' कहा जाएगा।

1.2 सहायता अनुदान की इस योजना के तहत, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के माध्यम से सीधे ही सहायता प्रदान की जाएगी। स्थाई परिसंपत्तियों अथवा देयताओं के सृजन लिए सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

2.0 योजना के उद्देश्यः– योजना के उद्देश्य राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की अवसंरचना को मजबूत बनाना है ताकि ऋणों की वसूली के साथ–साथ उनके प्रचालनों को भी बेहतर किया जा सके।

3.0 राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों हेतु पात्रता मापदंडः–

(क) एनएमडीएफसी की योजना के लिए बेहतर प्रदर्शन करने वाली सभी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां पात्र होंगी।

(ख) ऐसी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां जो निष्क्रिय हैं अकार्यात्मक हैं अथवा जिनको एनएमडीएफसी द्वारा उसकी ऋण योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु निधियां नहीं दी जाती हैं, इस योजना के अंतर्गत अनुदानों की पात्र नहीं होंगी।

(ग) जहाँ किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक से अधिक राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां हैं, सभी पात्र राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों अभिकरनों को प्रत्येक एससीए द्वारा सेवा प्रदत्त अल्पसंख्यक लाभार्थियों की संख्या के यथानुपात आधार पर सहायता अनुदान की योजना के अंतर्गत वित्तपोषित किया जा सकता है।

(घ) सहायता अनुदान 'पहले आओं पहले पाओ' के आधार पर मुहैया कराया जाएगा।

4.0 **अनुज्ञप्त क्रियाकलाप :–** निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगीः–

(क) जागरुकता अभियान।

(ख) प्रदानगी प्रणाली में सुधार।

(ग) ऋण वसूली।

(घ) स्वीकृत कुल सहायता अनुदान के 5% की सीमा तक राज्य चैनेलाइजिंग ऐजेंसियों के स्टॉफ और अधिकारियों के लिए टीए और डीए।

4.1 ऊपर उल्लिखित शीर्षों के अंतर्गत, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां निर्धारित प्रपत्र में अपने वार्षिक प्रस्ताव एनएमडीएफसी को प्रस्तुत करेंगी और निम्नलिखित मदों पर होने वाला सहायता हेतु पात्र होगाः

(क) जागरुकता अभियान :

1) स्थानीय भाषा में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन।
2) पाम्फलेट/ब्रोशर्स/योजनाओं का मुद्रण।
3) लाभार्थियों के लिए आवेदन पत्रों का मुद्रण।
4) लाभार्थियों के लिए खातों के रख–रखाव हेतु पास बुकों का मुद्रण ।
5) अल्पसंख्यक शिल्पकारों के उत्पादों/शिल्पकृतियों एवं अन्य ब्यौरे की जानकारी को उनकी बिक्री के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एससीए की वेबसाइट पर अपलोड करना।
6) अल्पसंख्यक सिद्दहस्त दस्तकारों एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं के उत्पादों के ब्रोशर्स/सूचियां तैयार करना।
7) अल्पसंख्यक शिल्पकारों के उत्पादों के लिए सहायता देने और उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मेलों में प्रतिभाग करना।
8) अल्पसंख्यक शिल्पकारों/स्व–सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री हेतु राज्य की राजधानी के प्रमुख इलाकों में परिसर प्राप्त करने में सहायता करना।

(ख) प्रदानगी प्रणाली में सुधार :

1) कम्प्यूटर/प्रिंटर एवं संबंधित सहायक सामग्री की खरीद करना यदि इनका सहायता अनुदान की पूर्व की निर्मुक्तियों के माध्यम से पहले से ही लाभ न उठाया गया हो।
2) लाभार्थियों के अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करना।
3) सूचना–सुविधा केन्द्रों की स्थापना तथा स्थानीय देशी भाषा में टॉल फ्री हेल्पलाइन की शुरूआत करना।
4) ऑनलाइन आवेदन प्रणाली विकसित करना।
5) वेब आधारित मॉनीटरिंग तथा नई दिल्ली में एनएमडीएफसी के साथ जोड़ना।
6) मूल्याँकन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण।
7) प्रभाव/समीक्षा/मूल्याँकन अध्ययन्।
8) एससीए के स्टाफ के लिए प्रशिक्षण।

(ग) वसूली से संबंधित व्यय :

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए भी व्यय कर सकती हैं:

1) वसूलियों को कारगर बनाने के लिए बाहर से लिए गए व्यक्तियों (आउटसोर्सड) व्यक्तियों को मजदूरी का भुगतान। तथापि, वसूली एजेंटों के परिनियोजन की अनुमति नहीं है।
2) वसूली प्रयोजनों हेतु कानूनी व्यय।

(घ) विविध :

1) एससीए द्वारा निश्चित अनुपात के अनुसार कुल स्वीकृत सहायता अनुदान का 5% से अधिक टीए और डीए के भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
2) योजना के अंतर्गत वाहनों की खरीद की अनुमति नहीं है।
3) सहायता अनुदान की योजना के अंतर्गत राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा किसी भी स्थायी परिसंपत्ति अथवा दायित्व के सृजन की भी अनुमति नहीं है।

5.0 निधीयन का स्वरुप :

5.1 सहायता अनुदान की योजना के अतंर्गत, एनएमडीएफसी द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को 100% केन्द्रीय सरकार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इलैक्ट्रानिक माध्यम से एनएमडीएफसी के खाते में निधियों का अंतरण करेगा। एनएमडीएफसी फिर आगे राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सीधे निधियों का अंतरण करेगा।

5.2 अल्पसंख्यकों को ऋणों के संवितरण हेतु एनएमडीएफसी से निधियों के आहरण के संबंध में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों का कार्य–निष्पादन सहायता की कसौटी होगा। इस योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान उन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को दिया जाएगा जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऋणों के संवितरण हेतु राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा आहरित निधियों की विशिष्ट समान प्रतिशतता इस योजना के अंतर्गत उन्हें सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी किंतु राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को दी गई कुल सहायता वार्षिक तौर पर 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

5.3 निधियां मंत्रालय द्वारा एनएमडीएफसी को निर्मुक्त की जाएंगी और एनएमडीएफसी फिर राज्य चैनेलाइजिंग ऐजेंसियों को सीधे निधियां निर्मुक्त करेगा। एनएमडीएफसी राज्य चैनेलाइजिंग ऐजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त करने, उनका मूल्याँकन करने, पात्र एनएमडीएफसी राज्य चैनेलाइजिंग ऐजेंसियों को निधियों की निर्मुक्ति करने तथा राज्य चैनेलाइजिंग ऐजेंसियों द्वारा निधियों के समेकित उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा।

6.0 मॉनीटरिंग एवं समीक्षा–

6.1 योजना के कार्यान्वयन की मंत्रालय/एनएमडीएफसी/मंत्रालय–एनएमडीएफसी द्वारा प्राधिकृत स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मॉनीटरिंग की जाएगी। एनएमडीएफसी तथा मंत्रालय द्वारा भी मौके पर चुनिंदा मूल्याँकन किए जाएंगे। योजना की समीक्षा बारहवीं योजना के तीसरे वर्ष में की जाएगी।

6.2 एनएमडीएफसी के माध्यम से राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा संचालित और प्रशासित परियोजनाएं ऑनलाइन और पूर्णतः कम्प्यूट्रीकृत होनी चाहिए। आँकड़े, स्थिति रिपोर्ट तथा ऋण अनुसूचियां, एनएमडीएफसी द्वारा तैयार की जाने वाली वेब आधारित अनुप्रयोजन पर वास्तविक–समय के आधार पर उपलब्ध होनी चाहिए।

7.0 समय सीमाः

7.1 इस योजना के अंतर्गत राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को प्रत्येक वित्त वर्ष की 31 मई तक अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

7.2 एनएमडीएफसी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के इन प्रस्तावों की जाँच करेगा और 15 जून तक मंत्रालय को निधियों की निर्मुक्ति के लिए समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

7.3 मंत्रालय द्वारा समेकित प्रस्ताव की जाँच की जाएगी और 30 जून तक निधि निर्मुक्त की जाएगी।

*****